FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0197 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/07/2026 18:13 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 06/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 10/07/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/07/2026 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 14/07/2026 18:13:33 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 180 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KARYALAY RICO AJMER TATHA UP IKAI, RICO BYAVAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name(नाम):** MANISH SHARMA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** DAYARAM SHARMA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	A 81, ROAD NO 17, BALNATH NAGAR 7, VISHWKARMA,, JAIPUR, VISHWAKARMA, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	A 81, ROAD NO 17, BALNATH NAGAR 7, VISHWKARMA,, JAIPUR, VISHWAKARMA, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ANJAY VISHWKARMA		पिता:PREMLAL VISHWKARMA	1. 32 M,SHIVAJI PARK KE PASS,CHRISTIANGANJ,CHRISTIANGANJ,AJMER,RAJASTHAN,INDIA
2	KAMLESH GURJAR		पिता:PUSHARAM GURJAR	1. BHATIPURA POST CHAUCLA,NAWA,डीडवाना-कुचामन,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		85,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 85,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 06.07.2026 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तीन व्यक्ति आये जिसमें एक व्यक्ति ने स्वयं का नाम मनीष शर्मा पुत्र श्री दयाराम शर्मा उम्र 31 साल जाति ब्राहम्ण निवासी-प्लॉट नम्बर ए-81 बालनाथ नगर-7 रोड नम्बर 17 विश्वकर्मा जयपुर का निवासी होना बताया तथा दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री रवि सुरोलिया पुत्र श्री रामजीलाल सुरोलिया उम्र 41 वष्र निवासी प्लॉट नम्बर बी-9 रोड नम्बर 1-डी रीको हाउसिंग कॉलोनी बीकेआई एरिया जयपुर व अन्य व्यक्ति ने अपना नाम गोरव मोटवानी पुत्र श्री सिरूमल मोटवानी उम्र 43 साल निवासी सी-46 बसंत विहार कॉलोनी गोपालपुरा मोड टोंक रोड जयपुर होना बताया। परिवादी श्री मनीष शर्मा ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर (राज0)। विषय- महोदय रिश्वत नहीं देकर रिश्वत खौर अधिकारियो को रंगे हाथों पकडवाने के क्रम में। महोदय निवेदन है कि मै मनीष शर्मा पुत्र श्री दयाराम शर्मा उम्र 31 साल जाति ब्राहम्ण निवासी-प्लॉट नम्बर ए-81 बालनाथ नगर-7 रोड नम्बर 17 विश्वकर्मा जयपुर का निवासी हू। महोदय मै गौरव मोटवानी एवं रवि सुरोलियॉ एक ग्रुप मे काम करते है एवं मुझे व रवि सुरोलिया की कम्पनी को डायरेक्ट अलॉटमेट पॉलिसी के तहत औ्द्योगिक क्षेत्र सथाना ब्यावर मे भूखण्ड आंवटित हुऐ है। भूखण्ड संख्या G 1-46 भूखण्ड संख्या G1-45 एवं G-18 आंवटित हुए है। रवि सुरोलियॉ के परिचित सोनम यादव को भूखण्ड संख्या G1-43 आंवटित हुए है। भूखण्डो की लीज डीड/ एग्रीमेंट/निष्पादन/जारी करने के काम हेतु कमलेश गुर्जर ने गौरव मोटवानी को पैसे लेकर ही काम करने को बोला है । एवं कमलेश गुर्जर ने पैसो से सम्बंधित बात भी गौरव मोटवानी से ही करने को बोला है। मेरे भूखण्ड संख्या G1-46 के उत्पाद परिवर्तन के कार्य हेतु अजंय विश्वकर्मा ने रवि सुरोलिया से पैसे लेकर ही उत्पाद परिवर्तन का काम करने को बोला है एवं अजंय विश्वकर्मा पैसों की बात भी रवि सुरोलियॉ से ही करेगा ऐसा बोला है। अतः मै उक्त दोनों रिश्वत खौर अधिकारियो को रिश्वत ना देकर रंगे हाथ पकडवाना चाहता हू। मेरी व रवि सुरोलियॉ एवं गौरव मोटवानी की कमलेश गुर्जर व अजंय विश्वकर्मा से कोई रंजिश नहीं है एवं ना ही उधार के पैसों की कोई लेन देन है मै उक्त दोनो अधिकारियों को रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूॅ। श्रीमान से निवेदन है उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी मनीष शर्मा रवि सुरोलियॉ गौरव मोटवानी इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मनीष शर्मा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एवं आधार कार्ड व प्लॉट अलाटमेंट की फोटोप्रति प्रस्तुत की। परिवादी श्री मनीष शर्मा से मजीद दरियाप्त की गई तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद हुई तथा परिवादी श्री मनीष शर्मा ने बताया कि रवि सुरोलियॉ व श्री गौरव मोटवानी मेरे मित्र है। जो ही मेरे प्लॉट के लीज डीड व उत्पादन परिवर्तन का कार्य देख रहे है। जिन्होने कई बार उक्त दोनो अधिकारियों से मिले परन्तु इन अधिकारियों के द्वारा मेरे जायज काम की एवज में रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। मेरे भूखण्ड संख्या जीआई 46 की लीज एग्रीमेंट/लीज डीड एव उत्पाद परिवर्तन हेतु आवेदन तब ही स्वीकार करेंगे जब वह रिश्वत राशि लेंगे। उन्होने कहा कि रिश्वत राशि प्राप्त होने पर आपके आवदेन पर मार्क करने पर आपका कार्य जल्दी हो जायेगा। इसलिए उक्त दोनो आरोपीगण रिश्वत राशि प्राप्त कर आवेदन पर मार्क करने पर ही आगे की कार्यवाही होगी। उक्त दोनो आरोपीगण मेरे से रिश्वत राशि की मांग नहीं कर मेरे मित्र रवि सुरोलियॉ से श्री अंजन विश्वकर्मा सीनियर डी.जी.एम. रिको कार्यालय अजमेर तथा गौरव मोटवानी से श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक बात करेंगे। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा श्री गौरव मोटवानी व श्री रवि सुरोलियॉ से रिश्वत राशि प्राप्त करने पर उपरोक्त बातों की ताईद की। प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों एवं मजीद दरियाप्त से मामला प्रथम दृष्टया लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग करना पाया जाता है। जिसके लिए परिवादी से संदिग्ध कर्मचारी से रिष्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात समय 11.30 एएम पर

मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय से श्री आलोक कुमार सहायक उप निरीक्षक को बुलाया जाकर परिवादी मनीष शर्मा व सह परिवादी श्री गौरव मोटवानी एवं श्री रवि सुरोलियॉ से आपस में परिचय करवाया गया तथा आलोक सहायक उप निरीक्षक से कार्यालय की अलमारी में से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर खाली होना सुनिश्चित किया तथा दो अलग अलग नये मेमेरी कार्ड consistent micro SD card 32 GB व sandisk Micro SD card 32 GB कम्पनी निकलवाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालु व बन्द करने की प्रकिया समझाइस कर परिवादी को सुपुर्द किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री आलोक सहायक उप निरीक्षक को हिदायत दी कि एक से सत्यापन करने के पश्चात सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में उक्त मेमोरी कार्ड को निकालकर दुसरे संदिग्ध अधिकारी से बात करते समय नया मेमोरी कार्ड लगाने के निर्देश दिये। इसके पश्चात परिवादी व सहपरिवादीगण के साथ श्री आलोक सहायक उप निरीक्षक व श्री उदय शर्मा कानि न 170 को मांग सत्यापन हेतु रवाना किया। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। दिनांक 07.07.2026 को समय करीब 2.20 पीएम पर श्री आलोक कुमार सहायक उप निरीक्षक व श्री उदय शर्मा एवं परिवादी श्री मनीष शर्मा व सहपरिवादीगण श्री रवि सुरोलियॉ उपस्थित कार्यालय आये तथा श्री आलोक कुमार सहायक उप निरीक्षक ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड बंद हालात में सुपुर्द कर विस्तृत हालात बताया कि दिनांक 06.07.2026 को मै व श्री उदय शर्मा एवं परिवादी श्री मनीष शर्मा व सहपरिवादीगण श्री रवि सुरोलियॉ व श्री गौरव मोटवानी एसीबी कार्यालय से सहपरिवदी श्री गौरव मोटवानी की कार से समय करीब 12.15 पीएम पर रवाना होकर समय करीब 03.50 पीएम पर ब्यावर रीको ऑफिस पहुचे जहां पर मैने डीवीआर को परिवादी को खाली होना बताकर नया मेमोरी कार्ड consistent micro SD card 32 GB कम्पनी का लगाकर समय 03.55 पीएम पर डीवीआर को चालू कर सहपरिवादी श्री गौरव मोटवानी को सुपुर्द कर परिवादी श्री मनीष शर्मा के साथ ब्यावर रीको ऑफिस में मांग सत्यापन हेतु रवाना किया तथा मै व उदय शर्मा व श्री रवि सुरोलियॉ रीको ऑफिस के बाहर ही गोपनीयता बनाये रखते हुऐ मुकिम हुऐ। समय करीब 5.25 पीएम पर सहपरिवादी गौरव व परिवादी मनीष हमारे पास आये व डीवीआर बंद कर मुझें सुपुर्द किया व सहपरिवादी गौरव मोटवानी ने मौखिक बताया कि श्री कमलेश ने 35,000 रूपये की रिश्वत मांग कर ली है जिसे डीवीआर मे रिकॉर्ड कर लिया है। इसके पश्चात मै श्री उदय कानि व परिवादीगण वहां से रवाना होकर समय करीब 06.30 पीएम के करीब रीको ऑफिस अजमेर पहुचे जहां सहपरिवादी श्री रवि सुरोलियॉ ने श्री अंजन विश्वकर्मा सीनियर डीजीएम रीको अजमेर के बारे में मालूमात किया तो उपस्थित नहीं मिले जिस पर सहपरिवादी श्री रवि सुरोलियॉ ने अंजन विश्वकर्मा से व्हाटसअप पर बात की तो उन्होने कल दिनांक 07.07.2026 को कार्यालय में मिलने के लिए कहा। इसके पश्चात हम सभी अजमेर से रवाना होकर समय 10 पीएम पर कार्यालय पहुचे। जहां परिवादी व सहपरिवादीगण ने मुझे व उदय शर्मा को कार्यालय छोडा तथा हालात मैने आपको जरिये दूरभाष हालात से अवगत कराया तथा जिस पर आपके निर्देशानुसार मैने डीवीआर में से मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड वार्ता के मेमोरी कार्ड consistent micro SD card 32 GB को निकालकर मेमोरी कार्ड व डीवीआर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा तथा परिवादी व सहपरिवादीगण को अजमेर रोड जयपुर पर मिलने के लिए कहा। इसके पश्चात मै उदय शर्मा व परिवादी व सहपरिवादीगण घर के लिए रवाना हो गये। आपके निर्देशानुसार पुनः दिनांक 07.07.2026 को सुबह मै व उदय शर्मा एसीबी कार्यालय पहुचे जहां कार्यालय की आलमारी से डीवीआर लेकर नया मेमोरी कार्ड sandisk Micro SD card 32 GB सहित अजमेर रोड जयपुर के लिए समय करीब 07.40 एएम पर रवाना होकर समय करीब 08.20 एएम पर अजमेर रोड जयपुर पहुचे जहां पर परिवादी श्री मनीष शर्मा व सहपरिवादी रवि सुरोलिया अजमेर रोड पर मिले। इसके पश्चात मै व उदय शर्मा व परिवादी मनीष शर्मा व सहपरिवादी रवि सुरोलियॉ रवि सुरोलियॉ की कार से रवाना होकर समय 10.30 एएम पर अजमेर रीको कार्यालय पहुचे जहां पर मैने डीवीआर को परिवादी श्री मनीष शर्मा व सहपरिवादी रवि सुरोलिया को खाली होना सुनिश्चित कर नया मेमोरी कार्ड sandisk Micro SD card 32 GB लगाकर संदिग्ध आरोपी श्री अंजन विश्वकर्मा के पास मांग सत्यापन हेतु भेजा। मै व उदय शर्मा रीको कार्यालय अजमेर के आस पास मुकिम हो गये। समय करीब 10.59 पर परिवादी व सहपरिवादी मेरे पास आये तथा डीवीआर बंद कर मुझे सुपुर्द किया मैने डीवीआर को अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी श्री मनीष शर्मा ने बताया कि मै व सहपरिवादी श्री रवि सुरोलियॉ मांग सत्यापन हेतु गये तब मै श्री अंजय विश्वकर्मा के कक्ष के बाहर रूक गया तथा सह परिवादी श्री रवि सुरोलियॉ अन्दर गये तत्पश्चात सहपरिवादी श्री रवि सुरोलियॉ ने बताया कि अंजन विश्वकर्मा ने मेरे से उक्त भूखण्ड का उत्पाद बदलने की एवज मे 50,000 रूपये की मांग की है जो इसमें रिकॉर्ड हो गई है। इसके पश्चात मै व उदय शर्मा व परिवादी व सहपरिवादी रवाना होकर एसीबी कार्यालय पहुचे। इसके पश्चात श्री आलोक कुमार सहायक उप निरीक्षक ने दिनांक 06.07.2026 को हुई मांग सत्यापन वार्ता के रिकॉर्ड मेमोरी कार्ड को मुझे सुपुर्द किया। इसके पश्चात परिवादी व सहपरिवादी ने भी उपरोक्त बातों की ताईद की। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में बारी बारी दिनांक 06.07.2026 व दिनांक 07.07.2026 की मांग सत्यापन वार्ता को सरसरी तौर पर चलाकर सुना तो परिवादी व सहपरिवादी द्वारा कही बातों की ताईद हुई। बंद डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय दोनो मेमोरी कार्ड को कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि दिनांक 08.07.2026 व दिनांक 09.07.2026 को रीको मे कोई

विभागीय कार्य होने से संदिग्ध आरोपी श्री कमलेश कार्यालय में उपस्थित नहीं मिलेगा। इसलिए दिनांक 10.07.2026 को लेन देन की कार्यवाही करने के लिए कहा। इस पर परिवादी व सहपरिवादी को मांग सत्यापन की कार्यवाही की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाने हेतु दिनांक 09.07.2026 को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये तथा परिवादीगण को गोपनीयता बनाने की मुनासिब हिदयात देकर रूखस्त किया तथा श्री हवा सिंह हैड कानि को दिनांक 09.07.2026 को स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय में बुलाने के निर्देश दिये गये। दिनांक 09.07.2026 को समय करीब 11.30 परिवादी श्री मनीष शर्मा व सहपरिवादी श्री रवि सुरोलियॉ व श्री गोरव मोटवानी तथा स्वतंत्र गवाहान श्री मोनू टोपियॉ व श्री महेश सारवान उपस्थित कार्यालय आये। तत्पश्चात पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री मोनू टोपियॉ व श्री महेश सारवान उपस्थित कार्यालय आये। स्वतंत्र गवाहान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री मोनू टोपिया हाल कनिष्ठ सहायक मालवीय नगर जोन नगर निगम जयपुर व दुसरे ने अपना नाम श्री महेश सारवान पुत्र श्री गुलाबचंद हाल कनिष्ठ सहायक मालवीय नगर जोन नगर निगम जयपुर होना बताया। परिवादी श्री मनीष शर्मा व सहपरिवादी श्री रवि सुरोलियॉ व श्री गोरव मोटवानी तथा स्वतंत्र गवाहान श्री मोनू टोपियॉ व श्री महेश सारवान से आपस में परिचय करवाया तथा इसके पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान से टै्रप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इसके पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिखाये व पढवाये जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात समय 11.50 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री मनीष शर्मा व सहपरिवादी श्री रवि सुरोलियॉ व श्री गोरव मोटवानी तथा स्वतंत्र गवाहान श्री मोनू टोपियॉ व श्री महेश सारवान की उपस्थिति में परिवादी श्री मनीष शर्मा व सहपरिवादी श्री गौरव मोटवानी व आरोपी श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक उप ईकाई रीको ब्यावर के मध्य दिनांक 06.07.2026 को हुई मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 07.07.2026 को सहपरिवादी श्री रवि सुरोलियॉ व आरोपी श्री अंजन विश्वकर्मा सीनीयर डीजीएम रीको अजमेर के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ता जो अलग अलग मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है उक्त दोनो मेमोरी कार्ड को आलमारी से निकालकर एडेप्टर में बारी बारी डालकर कार्यालय के लैपटॉप से बारी बारी जोडकर सुना गया तो दिनांक 06.07.2026 को हुई वार्ता में परिवादी श्री मनीष शर्मा व सहपरिवादी ने अपनी-अपनी आवाज एवं दुसरी आवाज श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक उप ईकाई रीको ब्यावर की पहचान की तथा दिनांक 07.07.2026 को हुई वार्ता को सुनकर सहपरिवादी रवि सुरोलियॉ ने अपनी आवाज एवं दुसरी आवाज श्री अंजन विश्वकर्मा सीनीयर डीजीएम रीको अजमेर की आवाज की पहचान की गई तथा वार्ताओ की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई एवं दोनो मेमोरी कार्ड consistent micro SD card 32 GB व sandisk Micro SD card 32 GB मांग सत्यापन वार्ता जो मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया उक्त वार्ताओं को पेन ड्राईव में अपलोड/पेस्ट करने हेतु कार्यालय की आलमारी से 03 नये पेन OSCOO 32 GB USB 2-0 FLASH DRIVE निकालकर पेन ड्राईव खाली होना सुनिश्चित कर कार्यालय लेपटॉप की सहायता से मेमेरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं की 03 पेन ड्राईव में अपलोड/पेस्ट कर तीनों पेन ड्राईव में वाईस क्लिप होना सुनिश्चित कर पेन ड्राईव पर क्रमशः मार्क A, B व C अंकित किया जाकर परिवादी सहपरिवादीगण एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उक्त दोनो मेमोरी कार्डस में उपलब्ध वॉईस फाईल्स का एफटीके इमेजर से हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू रिपोर्ट का प्रिन्ट लिया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया तथा हैश वैल्यू का मिलान सही होना पाया गया। पेन ड्राईव क्रमशः मार्क A के कागज कवर सहित रखकर अलग कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव मार्क B व C को खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मांग सत्यापन के दौरान उपयोग में लिये गये consistent micro SD card 32 GB व sandisk Micro SD card 32 GB को मार्क MC-1, MC-2 अंकित किया जाकर मेमोरी कार्डस को अलग अलग प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में रखकर अलग अलग सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जप्त किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हवा सिंह मुख्य आरक्षक को टै्रप बॉक्स तैयार करने तथा स्वतंत्र गवाहान व एसीबी टीम को दिनांक 10.07.2026 को समय 06.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। चूंकि संदिग्ध आरोपीगण दोनो एक ही विभाग के है तथा इनके कार्यालय की परस्पर दूरी काफी अधिक होने से टै्रप कार्यवाही के दौरान एक संदिग्ध को टै्रप करने से दूसरे संदिग्ध आरोपी सर्तक होने से दुसरा संग्दिध आरोपी की टै्रप कार्यवाही नहीं होने की सम्भावना होने से उक्त हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया जिस पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर श्री ज्ञान प्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को टै्रप कार्यवाही मे सहयोग हेतु पाबन्द किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा श्री ज्ञान प्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही के बारे में अवगत कराया तथा परिवादी श्री मनीष शर्मा व सहपरिवादी श्री रवि सुरोलियॉ व श्री गोरव मोटवानी से आपस में परिचय करवाया तथा सहपरिवादी श्री गौरव मोटवानी के साथ संदिग्ध आरोपी श्री कमलेश कनिष्ठ सहायक रीको ब्यावर के विरूद्व कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया तथा दिनांक 10-07-2026 को समय 6.30 एएम पर स्वतंत्र गवाहान मय टीम सहित कार्यालय उपस्थित होने के बारे में बताया गया। दिनांक 10.07.2026 को समय करीब 07.00 एएम पर परिवादी श्री मनीष शर्मा व सहपरिवादी श्री रवि सुरोलियॉ व श्री गोरव

मोटवानी तथा पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री मोनू टोपियॉ श्री महेश सारवान विजय गौड एवं किशनलाल व एसीबी टीम उपस्थित कार्यालय आये। इसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दूसरी टीम जो संदिग्ध कर्मचारी श्री कमलेश गुर्जर को ट्रैप कार्यवाही हेतु जायेगी उक्त के स्वतंत्र गवाहान श्री विजय गौड एवं श्री किशनलाल का परिचय उपस्थित परिवादी मनीष शर्मा सहपरिवादी गोरव मोटवानी सहपरिवादी श्री रवि सुरोलिया से आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी का प्रार्थना पत्र पढवाया गया। तत्पश्चात् उक्त दोनों स्वतंत्र गवहान द्वारा ट्रैप कार्यवाही में सम्मिलित होने की मौखिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत स्वतंत्र गवाहान से परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए। तत्पश्चात समय करीब 07.55 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने परिवादी मनीष शर्मा को संदिग्ध अंजन विश्वकर्मा जीएम रीको अजमेर व श्री कमलेश रीको ब्यावर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा गया जिस पर परिवादी मनीष शर्मा ने अपने पास से प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 170 नोट कुल राशि 85,000 रूपये निकालकर रिष्वत राषि के रूप में पेष कियें। मौतबिरान मोनू टोपियॉ व महेश सारवान श्री विजय गौड व किशन लाल मीणा तथा परिवादी श्री मनीष शर्मा सहपरिवादी श्री रवि सुरोलिया एवं श्री गौरव मोटवानी की उपस्थिति में उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के कुल 170 नोटों पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु श्री प्रदीप शर्मा कानि नम्बर 245 से कार्यालय हाजा की आलमारी में से फिनोफ्थीलन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक मेज पर एक अखबार बिछवाकर उस पर डिब्बे से फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात् सहपरिवादी श्री रवि सुरोलियॉ व श्री गोरव मोटवानी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहन मोनू टोपियॉ से लिवाई जाकर उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वती राशि के नोटो को आरोपीगणो की मांग अनुसार देने के लिए श्री प्रदीप शर्मा कानि नम्बर 245 से क्रमवाईज 1 से 100 तक राशि 50,000 रूपये की गड्डी बनाई जाकर उक्त रिश्वत राशि को एक खाली सफेद रंग के लिफाफे में रखवायी जाकर लिफाफे पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाकर लिफाफे में रखी रिश्वत राशि सहित लिफाफे को सहपरिवादी रवि सुरोलिया की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी साईड की जेब में रखवाया गया तथा रिश्वती राशि 101 से 170 तक राशि 35,000 रूपये की गड्डी बनाई जाकर उक्त रिश्वत राशि को एक खाली सफेद रंग के लिफाफे में रखवायी जाकर लिफाफे पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाकर लिफाफे में रखी रिश्वत राशि सहित लिफाफे को सहपरिवादी श्री गौरव मोटवानी की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी साईड की जेब मे रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी व सहपरिवादीगण को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्ध आरोपीगणो द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट संदिग्धो को देवें। परिवादी श्री मनीष शर्मा व सहपरिवादी रवि सुरोलिया को मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया कि संदिग्ध अंजनी विश्वकर्मा जी.एम. द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर एवं श्री आलोक कुमार सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी एवं स्वतंत्र गवाहान को निर्धारित ईशारा करें। सहपरिवादी श्री गौरव माटवाना का मन् अतिरिक्त पुलिस ने बताया कि संदिग्ध कमलेश द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से श्री ज्ञान प्रकाश अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर निर्धारित ईशारा करें एवं सहपरिवादी श्री गौरव मोटवानी परिवादी मनीष व सहपरिवादी रवि सुरोलिया को अवगत कराया कि संदिग्ध आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि को कहां रखते है यह भी ध्यान रखें तथा संदिग्धगणों से हाथ नहीं मिलावे। स्वतन्त्र गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी व सहपरिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व संदिग्धों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान परिवादी व सहपरिवादी को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा उसके बाद श्री प्रदीप शर्मा कानि. जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसके बारे में उपस्थित गवाहान परिवादी एवं सहपरिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा या छुयेंगा तो उसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात श्री प्रदीप शर्मा से गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास तथा उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री प्रदीप शर्मा कानि. से फिनोल्पथलीन पाउडर के डिब्बे को वापस कार्यालय की अलमारी में रखवाकर श्री प्रदीप शर्मा के हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे गये। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयो को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सुखने के उपरान्त एवं नये डिस्पोजल प्लास्टिक के ग्लास एवं चम्मच ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपीगणो से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने के लिए दो विभागीय

डिजीटल वाईस रिकार्डर में दो नये मैमोरी कार्ड Consistent 32 GB जिसको खाली होना सुनिश्चित कर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगाया गया तथा एक डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के सहपरिवादी श्री रवि सुरोलियॉ तथा दूसरा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के सहरिवादी श्री गौरव मोटवानी को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि संदिग्धगणों के पास रिश्वत राशि के लेन-देन हेतु को रिकॉर्ड करें। संदिग्धो को दी जानी वाली रिश्वती राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने वाले श्री प्रदीप कानि को कार्यालय में छोडा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से बनायी जाकर शामिल कार्यवाही की गयी। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री ज्ञानप्रकाश नवल अति. पुलिस अधीक्षक को जरिये व्हाटसअप पर संपर्क कर अवगत कराया कि मैं आपको टीम सहित अजमेर रोड टोल पर मिल जाउंगा। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री विजय गौड व श्री किशन लाल एवं सहपरिवादी श्री गौरव मोटवानी को मुनाबिस हिदायत की गयी। तत्पश्चात समय करीब 09.00 एएम पर समय मन् अति. पुलिस अधीक्षक नगर चतुर्थ जयपुर मय श्री आलोक कुमार सउनि श्री हवा सिंह हैड कानि. 09 श्री अशोक कुमार हैड कानि. 54 श्री दयाचन्द हैड कानि. 07 श्री सरदार सिंह कानि. न. 187 ओमप्रकाश कानि. 438 श्रीमती नीलम महिला कानि. 22 श्री उदय शर्मा कानि. 170 श्री विशाल बाछल वरिष्ठ सहायक मय स्वतन्त्र गवाहान श्री मोनू टोपिया व श्री महेश सारवान परिवादी श्री मनीष शर्मा एवं श्री रवि सुरोलियॉ मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय कैमरा मय साजो सामान मय सरकारी वाहन बोलेरो आरजे 14 यूएल 5814 व मिनी बस आरजे14 पीई 9166 मय चालक श्री महेश कुमार एवं बिरजू एवं रवि सुरोलियॉ के वाहन से वास्ते गोपनीय कार्यवाही रवाना हुआ एवं श्री ज्ञान प्रकाश नवल अति. पुलिस अधीक्षक एसीबी नगर तृतीय जयुपर को मय जाप्ता मय साजो सामान एवं सरकारी वाहन एवं स्वतन्त्र गवाहान के वास्ते गोपनीय कार्यवाही उच्चाधिकारीयो के निर्देशानुसार रवाना होने हेतु अवगत कराया गया तथा समय करीब 09.30 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय रवाना शुदा परिवादी सहपरिवादी हमराही जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के अजमेर रोड बगरू टोल प्लॉजा पहुचे जहां श्री ज्ञानप्रकाश अति. पुलिस अधीक्षक मय ट्रैप पार्टी के उपस्थित मिले। चूंकि परिवादी की शिकायत एक ही विभाग से संबंधित कर्मचारियो की है जिनके कार्यालयो की परस्पर दूरी लगभग 70 किलोमीटर से अधिक होने के कारण एक आरोपी को ट्रैप किए जाने पर दूसरे आरोपी को भनक लगने पर ट्रैप कार्यवाही नहीं होने की संभावना होने से उक्त कार्यवाही एक साथ ही करने का निर्णय लिया गया है इसलिए परिवादी के मित्र सहपरिवादी श्री गौरव मोटवानी को संदिग्ध आरोपी की मांग के अनुसार मांगी गयी रिश्वती राशि सहित श्री ज्ञान प्रकाश नवल अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया है आप निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही गौरव मोटवानी के साथ करे तथा फर्द पेशकशी सुपुर्द नोट की एक प्रति सुपुर्द की गई इसके पश्चात् श्री ज्ञान प्रकाश नवल अति. पुलिस अधीक्षक मय ट्रैप पार्टी सदस्य मय सहपरिवादी श्री गौरव मोटवानी के गोपनीय ट्रैप कार्यवाही हेतु ब्यावर रवाना हुए तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से गोपनीय ट्रैप कार्यवाही हेतु अजमेर रवाना होकर समय करीब 11.40 एएम पर मन् अतिरिक्त मय हमराहियान मय परिवादी सहपरिवादी के अपने-अपने वाहनो से अजमेर से कुछ दूरी पूर्व रूके तथा आरोपीगण के कार्यालय में आने का इंतजार किया। इसके पश्चात समय करीब 12.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय परिवादी मनीष शर्मा व सहपरिवादी रवि सुरोलियॉ एवं स्वतत्रं गवाहान के रवाना होकर रीको कार्यालय वैशालीनगर अजमेर के आसपास पहुचा तथा वाहनों को रोड से साईड में खडा करवाया तथा सहपरिवादी श्री रवि सुरोलिया को डीवीआर चालू किए जाने के निर्देश देकर संदिग्ध आरोपी से रिश्वत लेन-देन के दौरान होने वाली वार्ता रिकार्ड किए जाने आदि मुनासिब हिदायत कर संदिग्ध आरोपी अंजय विश्वकर्मा के पास रवाना किया गया तथा परिवादी श्री मनीष शर्मा को भी रवाना किया एवं मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रैप टीम के कार्यालय रीको अजमेर के आस पास गोपनीयता बनाये रखते हुए परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकिम हुऐ। समय करीब 01.00 पी.एम. पर सहपरिवादी श्री रवि सुरोलिया ने पूर्व निर्धारित ईशारा मिस कॉल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नंबर पर किया। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हमराही जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर कार्यालय रीको वैशालीनगर अजमेर परिसर की पार्किंग में पहुचा जहां पर मुझे परिवादी मनीष व सह परिवादी श्री रवि सुरोलिया उपस्थित मिले। सहपरिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर बंद अवस्था में मन् अति. पुलिस अधीक्षक को देने पर मैंने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् सहपरिवादी श्री रवि सुरोलिया ने बताया कि मैं व श्री मनीष शर्मा श्री अंजय विश्वकर्मा डीजीएम रीको से मिलने के लिए गए तो श्री मनीष शर्मा बाहर रूक गया और मैं श्री अंजय विश्वकर्मा सीनियर डीजीएम के कक्ष में गया जहां पर श्री अंजय विश्वकर्मा ने मेरे से लिफाफे में रखी रिश्वत राशि 50,000/- रूपए अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर सामने की टेबिल की बांयी तरफ की उपर की दराज में रख लिए है तथा मनीष शर्मा के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही के लिए पृष्ठाकिंत किया तत्पश्चात् मैं कक्ष से बाहर आया तथा श्री मनीष शर्मा को बताया तथा हम बाहर आए व मैंने आपको ईशारा किया। इसके पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रैप पार्टी सदस्यो के रीको कार्यालय के अंदर प्रवेश किया जहां पर एक कमरे के बाहर अंजय विश्वकर्मा सीनियर डीजीएम लिखा हुआ है की ओर परिवादी व सहपरिवादी ने ईशारा कर बताया कि इसमें श्री अंजय विश्वकर्मा सामने कुर्सी पर बैठे है। मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रैप पार्टी सदस्यो के उक्त कक्ष के अंदर प्रवेश करने पर एक व्यक्ति हाफ बाजू की चैक प्रिंट शर्ट व पेन्ट पहने हुए कुर्सी पर बैठे हुए है कि तरफ परिवादी व सहपरिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही अंजय विश्वकर्मा सीनियर डीजीएम रीको अजमेर

है जिन्होंने अभी अभी मेरे से रिश्वत राशि 50000/-रूपए लिफाफे में प्राप्त कर अपनी सामने की टेबिल की बांयी उपर की दराज में रख लिए है। इसके पश्चात मन् पुलिस अधीक्षक ने स्वयं व हमराहियान का परिचय देकर आने का मंतव्य से अवगत कराया तथा आरोपी अंजय विश्वकर्मा के दोनो हाथों को हमराही जाप्ते की मदद से पकडवाया व नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम अंजय विश्वकर्मा पुत्र श्री प्रेमलाल उम्र 60 साल जाति जांगिड निवासी मकान नं. 54 आर.एफ.सी कॉलोनी सिरसी रोड वैशालीनगर जयपुर हाल निवासी 32 एम क्रिश्चनगंज शिवाजी पार्क के पास अजमेर हाल सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर रीको अजमेर होना बताया। इसके पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री अंजय विश्वकर्मा सीनियर डीजीएम रीको अजमेर से परिवादी श्री मनीष शर्मा व सहपरिवादी श्री रवि सुरोलिया को जानने के बारे में पुछा तो बताया कि हां ये दोनो मेरे से एक दो बार पहले मेरे से मिले है तत्पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक आरोपी अंजय विश्वकर्मा से सहपरिवादी से अभी-अभी ली गयी रिश्वत राशि लेने के बारे पूछा तो बताया कि इन्होंने मुझे प्रार्थना पत्र के साथ एक लिफाफा दिया मैंने प्रार्थना पत्र को मार्क कर दिया ओर लिफाफे को मैंने मेरी टेबिल की बांयी तरफ की उपर की दराज में रख दिया लिफाफे में क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी अंजय विश्वकर्मा से लिफाफे में रखी रिश्वत राशि किस कार्य के लिए ली है के बारे में पूछने पर आरोपी श्री अंजय विश्वकर्मा ने बताया कि श्री रवि सुरोलिया ने ऐसे ही दिए । इस पर मौके पर उपस्थित श्री रवि सुरोलिया द्वारा श्री अंजय विश्वकर्मा की बात का खण्डन करते हुए बताया कि मैं गौरव मोटवानी व मनीष एक ग्रुप में कार्य करते है तथा श्री मनीष शर्मा प्रो. मैसर्स राधे गोविन्द इण्डस्ट्रीज के नाम एक भूखण्ड सं. जी-1-46 आद्यौगिक क्षेत्र सथाना ब्यावर अलोटमेन्ट हुआ था जिसमें भूखण्ड का उत्पाद (प्रोडेक्ट) सीमेन्ट गमला तथा जाली को बदल कर स्टील फेब्रीकेशन करने की एवज में 50,000/- रूपए की रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे जिस पर दिनांक 07.07.2026 को हुई मांग सत्यापन के दौरान 50,000/- रूपए की मांग की गयी । उक्त मांग की एवज में आज दिनांक 10.07.2026 को लिफाफे में रिश्वत राशि 50,000/- रूपए प्राप्त कर अपनी सामने की टेबिल के बांयी तरफ की उपर की दराज में रख लिए है। तत्पश्चात् परिवादी श्री मनीष शर्मा ने भी श्री अंजय विश्वकर्मा की बात का खण्डन करते हुए बताया कि मैं रवि सुरोलिया तथा गौरव मोटवानी एक ग्रुप में कार्य करते है। मुझे मैसर्स राधे गोविन्द इण्डस्ट्रीज के नाम एक भूखण्ड सं. जी-1-46 ओद्यौगिक क्षेत्र सथाना ब्यावर अलोट हुआ तथा मेरे मित्र श्री रवि सुरोलिया को भूखण्ड एफ-18 जी1-45 तथा जी1-43 श्री रवि सुरोलिया के मित्र को आवंटित हुआ है। मुझे आवंटित उक्त भूखण्ड का उत्पाद (प्रोडेक्ट) सीमेन्ट गमला तथा जाली को बदल कर स्टील फेब्रीकेशन करने की एवज में 50,000/-रूपए की रिश्वत राशि की मांग श्री अंजय विश्वकर्मा के द्वारा की गयी तथा मेरे उक्त भूखण्ड व रवि सुरोलिया के भूखण्डो की लीज डीड/एग्रीमेन्ट करने की एवज में श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक रीको ब्यावर के द्वारा दिनांक 06.07.2026 को मेरे व गौरव मोटवानी से 50,000/- रूपए की मांग कर 35000/- रूपए में सहमत हुए है। इसलिए श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक को रिश्वत राशि 35000/- रूपए देने के लिए श्री गौरव मोटवानी श्री ज्ञानप्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ गया तथा मैं श्री अंजय विश्वकर्मा सीनीयर डीजीएम को रिश्वत राशि देने के लिए श्री रवि सुरोलिया के साथ अंजय विश्वकर्मा सीनीयर डीजीएम को उनकी मांग के अनुसार 50000/- रूपए देने के लिए गया मैं कक्ष के बाहर ही रूक गया तथा श्री रवि सुरोलिया अंदर गए थोडी देर पश्चात वापस बाहर आकर मुझे बताया कि अंजय विश्वकर्मा ने रिश्वत राशि 50,000/- रूपए प्राप्त कर ली है। इसके पश्चात् मैं व रवि सुरोलिया बाहर आए तथा रवि सुरोलिया जी ने आपको पूर्व निर्धारित ईशारा किया। तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने परिवादी मनीष शर्मा एवं सहपरिवादी रवि सुरोलिया द्वारा कही गई बातों की ताईद करने के लिए परिवादी सहपरिवादी व दोनां स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ बोतल में स्वच्छ पानी भरवाया जाकर दो पारदर्शी नए प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में स्वच्छ पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री अंजय विश्वकर्मा सीनियर डीजीएम रीको अजमेर के दांहिने हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला होना बताया उक्त धोवन को दो साफ कांच की षीषियों मे आधा-आधा डालकर शीशियों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R-1 व R -2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त विधि से ही दूसरे साफ स्वच्छ पानी से भरे साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी श्री अंजय विश्वकर्मा के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क L-1 व L -2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री अंजय विश्वकर्मा की सामने की टेबिल की बांयी साईड की उपर की दराज की तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवायी जाने पर दराज में रखे एक मानचित्र के कागज के उपर लिफाफा मिला जिसको स्वतंत्र गवाह श्री महेश सारवान से बाहर निकलवाया तथा लिफाफे में रखी राशि को लिफाफे से बाहर निकलवायी तो उक्त लिफाफे

में 500-500 रूपए भारतीय चलन मुद्रा के नोटो की एक गड्डी मिली जिसको स्वतंत्र गवाह श्री महेश सारवान के पास सुरक्षित रखवाया गया। चूंकि आरोपी श्री अंजय विश्वकर्मा के द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी सामने की टेबिल की बांयी तरफ की उपर की दराज में रख लिया इसलिए आरोपी श्री अंजय विश्वकर्मा की टेबिल की दराज जिस स्थान पर रिश्वत राशि रखी गयी उसका धोवन लिया जाना है इसलिए उपरोक्त विधि अनुसार साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल में स्वच्छ पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद आरोपी श्री अंजय विश्वकर्मा की टेबिल की बांयी दराज में रखे कागज के उपर रखी थी जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त कागज पर एक सफेद रूई की चिंदी से रगडकर उक्त धोवन में डुबोया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ षीषियों मे आधा-आधा डालकर शीशियों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क T-1 व T-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। इसके पश्चात उक्त सफेद रूई की चिंदी को सुखाकर एक प्लास्टिक की पन्नी में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाया गया तथा मार्क C अंकित किया तथा आरोपी श्री अंजय विश्वकर्मा सीनियर डीजीएम द्वारा रिश्वत राशि 50,000/- का लिफाफा प्राप्त कर टेबिल की दराज में जिस कागज के मानचित्र (केकडी क्षेत्र का)पर रखी गयी थी उक्त कागज के मानचित्र का धोवन लिया गया तत्पश्चात उक्त मानचित्र पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाया जाकर सफेद कपडे़ की थैली में रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाए जाकर मार्क T अंकित कर सील चस्पा कर कब्जे एसीबी लिए गए। इसके पश्चात् मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने पूर्व में स्वतंत्र गवाहान श्री महेश सारवान के पास सुरक्षित रखवायी गयी रिश्वती राशि 500-500 रूपए के भारतीय चलन मुद्रा के नोटों को गिनवाए तो कुल 100 नोट राशि 50,000/- रूपए होना बताया । उक्त नोटो को पूर्व में कार्यालय में बनायी गयी फर्द सुपुर्दगी नोटो के क्रम सं. 01 से 100 तक में अंकित नंबरो से दोनों स्वतंत्र गवाहान् से नोटो के नंबर का मिलान करवाया तो हूबहू होना बताया। उक्त बरामदशुदा भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 100 नोट कुल राशि 50,000/- रूपये व लिफाफे को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मनीष शर्मा के भूखण्ड सं. जी1-46 औद्योगिक क्षेत्र सथाना ब्यावर की पत्रावली के बारे में पूछा तो श्री अंजय विश्वकर्मा ने टेबिल पर ही रखी होना बताया। जिसपर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रभारी रीको अजमेर को परिवादी मनीष शर्मा के नाम अलोटमेन्ट भूखण्ड के मूल दस्तावेज प्राप्त करने के लिए पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को चलाकर सुना तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना नहीं पाया गया। इस पर सहपरिवादी श्री रवि सुरोलिया को इस संबंध में पुछा तो उसने बताया कि मैंने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को पहनी हुई पेंट की बांयी साईड की जेब में रखा था इसके पश्चात मैं अंजय विश्वकर्मा से बात करने उनके कक्ष में गया संभवतः जिंस की पेन्ट टाईट होने के कारण डीजिटल वॉयस रिकॉर्डर बंद हो गया होगा या फिर कोई टेक्निकल समस्या के कारण वार्ता रिकॉर्ड नहीं हुई होगी। उक्त कार्यवाही के दौरान विभागीय डिजिटल कैमरे से विडियो रिकॉर्डिग करवायी गयी। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वती राशि मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री अंजय विश्वकर्मा सीनियर डीजीएम रीको अजमेर को आवाज नमूना प्राप्त करने हेतु नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी श्री अंजय विश्वकर्मा सीनियर डीजीएम रीको अजमेर ने अंकित किया कि मै मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता हू। उक्त आवाज नमूना नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया। आरोपी श्री अंजय विश्वकर्मा सीनियर डीजीएम रीको अजमेर के जरिये फर्द गिरफ्तारी के आधार व जमानत व जमानत के अधिकारो की सूचना अन्तर्गत धारा 47 38 36(ग) बीएनएसएस से दी गई। आरोपी अंजय विश्वकर्मा पुत्र श्री प्रेमलाल उम्र 60 साल जाति जांगिड निवासी मकान नं. 54 आर.एफ.सी कॉलोनी सिरसी रोड वैशालीनगर जयपुर हाल निवासी 32 एम क्रिश्चनगंज शिवाजी पार्क के पास अजमेर हाल सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर रीको अजमेर द्वारा के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी अंजय विश्वकर्मा हाल सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर रीको अजमेर के विरूद्व नियमानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही कर हस्बकायदा जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर कराये गये। परिवादी का मूल प्रार्थना मय दस्तावेज ट्रेप कार्यवाही में वांछित होने से पृथक से जरिए फर्द जब्त किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सहपरिवादी स्वतंत्र गवाहान की निशादेही में घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका घटनास्थल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया।समय करीब 07.40 पीएम पर श्री ज्ञानप्रकाश अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान तथा डिटेनशुदा आरोपी श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक कार्यालय रीको ब्यावर उपस्थित आए तथा फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि फर्द नक्शा घटना स्थल मुताबिक फर्द के रिश्वत राशि 35,000/- रूपए जब्तशुदा आर्टिकल्स मोबाईल फोंन एवं रिकॉर्ड एवं डिटेनशुदा श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया तथा श्री ज्ञान प्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि समय 12.20 पीएम पर सह परिवादी श्री गौरव मोटवानी को उसके मित्र मनीष शर्मा व रवि सुरोलिया की फर्मो को रीको ब्यावर द्वारा औधोगिक

क्षेत्र सथाना ब्यावर में आवंटित 04 भूखण्ड संख्या एफ-18 जी1-43 जी1-45 जी1-46 के लीज डीड/एग्रीमेन्ट निष्पादन के लिये तथा फर्द पेशकशी के दौरान सुपुर्द किया विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू करवाकर रिश्वत लेन-देन हेतु रिको उप ईकाई कार्यालय ब्यावर में संदिग्ध अधिकारी श्री कमलेश गुर्जर के पास रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहन के रिको उप ईकाई कार्यालय के आस-पास सह परिवादी गौरव मोटवानी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में अपनी पहचान को छुपाते हुए गोपनीय रूप से ट्रैप जाल बिछाकर मुकिम हुए। समय 12.50 पीएम पर सह परिवादी श्री गौरव मोटवानी ने निर्धारित ईशारा कर अपनी कार लेकर कार्यालय से बाहर निकल गये कुछ समय पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त एसीबी टीम सदस्यो एवं स्वतंत्र गवाहान के सह परिवादी के पास पहुच विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। इसके पश्चात टीएलओ श्री मनोज कुमार गुप्ता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से समन्वय बनाते हुए उनके निर्देशानुसार सह परिवादी को साथ लेकर रिको उप ईकाई कार्यालय ब्यावर पहुंचे जहां कार्यालय में दो व्यक्ति बैठे हुए थे परिवादी ने कार्यालय के मुख्य सीट पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह कमलेश जी है जिन्होने कुछ समय पूर्व मेरे से बातचीत कर लिफाफे में रिश्वती राशि के 35,000/- रूपये बांये हाथ से प्राप्त कर लिफाफे को अपने बांयी तरफ टेबल पर रखे प्रिंटर के पास रख लिया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री कमलेश गुर्जर को स्वयं व हमराहियान का परिचय देकर आने के मंतव्य से अवगत कराते हुए नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कमलेश गुर्जर पुत्र श्री पुषारामगुर्जर उम्र 26 साल निवासी गांव भाटीपुरा पोस्ट चौसला पुलिस थाना नांवा सिटी जिला डीडवाना-कुचामन हाल कनिष्ठ सहायक रिको उप ईकाई कार्यालय ब्यावर बताया तथा अन्य व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजेश जोशी पुत्र गोविन्द राम जोशी उम्र 68 वर्ष निवासी मकान नम्बर 2/3 चम्पा नगर ब्यावर मोबाईल नम्बर बताया तथा अपने सालाना लीज के बारें में जानकारी प्राप्त करने हेतु आना बताया। इसके पश्चात उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री विजय गौड़ से सह परिवादी के बताये स्थान श्री कमलेश गुर्जर के बांयी तरफ रखी टेबल पर रखे प्रिन्टर के पास की तलाशी लिवाई गई तो वंहा पर एक सफेद लिफाफा मिला जिसको स्वतंत्र गवाह श्री विजय गौड़ से उठवाकर लिफाफे को चैक करवाया गया तो उसमें रूपये होना पाये गये जिनको गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के कुल 70 नोट राशि 35,000/रूपये होना पाया गया। उक्त राशि को स्वतंत्र गवाह श्री विजय गौड़ के पास सुरक्षित रखवाया गया। उसके पश्चात पुनः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कमलेश गुर्जर से सह परिवादी से ली गई रिश्वती राशि 35000/- रूपये के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैंने इनसे कोई रूपये नही लिए है तथा ना ही कोई लिफाफा लिया है यह व्यक्ति जिस समय मेरे कार्यालय में आये उस समय मैं कार्यालय में नही था इन्होने रूपयों का लिफाफा जबरदस्ती मेरी टेबिल पर रखे प्रिन्टर के पास रख दिया यह आज मेरे पास चार भुखण्डों की पत्रावलियां उनके लीज डीड/एग्रीमेन्ट का निष्पादन हेतु लेकर आये थे मैने उन पत्रावलियों को चैक कर उनको मेरे पास रखे प्रिन्टर के उपर रख लिया मैंने आज इनसे कोई रूपये नही लिये। जिस पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि यह झूठ बोल रहे है मैं कुछ समय पूर्व इनके पास आया था जब मैं यंहा पर आया तो इनके पास कोई अन्य व्यक्ति बैठा था इन्होने मेरे को ईशारा में बाहर इंतजार करने के लिए कहा मैं बाहर बैठकर इंतजार करने लगा कुछ समय पश्चात उस व्यक्ति के जाने के बाद मैं अन्दर इनके पास आया इनको मैंने चार लीज डीड/एग्रीमेन्ट की फाईल दी थी जिनको इन्होने सरसरी तौर पर चैक कर आईन्दा सही तरीके से चैक करने के लिए कहकर उनको अपने बांयी तरफ रखे प्रिन्टर के उपर रख दिया इसके बाद इन्होने मेरे से बातचीत कर पूर्व में तय की गई रिश्वत राशि 35,000/- रूपये के बारें में ईशारा किया तो मैंने रूपयों का लिफाफा निकालकर इनको दे दिया जिसको इन्होने अपने बांये हाथ से लेकर अपनी बांयी तरफ रखी टेबल पर रखे प्रिन्टर के पास रख लिया। सहपरिवादी ने बताया कि दिनांक 06.04.2026 मैं मेरे मित्र मनीष शर्मा के साथ उसको तथा रवि सुरोलिया व सोनम यादव की फर्म को रीको ब्यावर द्वारा औधोगिक क्षेत्र सथाना ब्यावर में आवंटित 04 भूखण्ड संख्या एफ-18 जी1-43 जी1-45 जी1-46 के लीज डीड/एग्रीमेन्ट निष्पादन के लिये इनके पास रिको उप ईकाई कार्यालय ब्यावर आया था उस दिन इन्होने मेरे व मनीष से उक्त कार्य हेतु 50,000/- रूपये रिश्वत के रूप में मांगे थे तथा अन्त में हमारे बीच 35,000/- रूपये रिश्वत लेना तय हुआ था मनीष शर्मा के भूखण्ड संख्या जी1-46 के उत्पाद परिवर्तन का कार्य श्री अंजय विश्वकर्मा वरिष्ठ डीजीएम रीको अजमेर के द्वारा किया जाना है तथा श्री अंजय विश्वकर्मा द्वारा भी मेरे मित्र मनीष शर्मा से उक्त कार्य हेतु 50,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग रहा था जिस कारण मनीष शर्मा तथा रवि सुरोलिया दोनो 50,000/- रूपये रिश्वत लेन-देन हेतु एसीबी के साथ अजमेर गये हुए है तथा मुझे मेरे मित्रगण मनीष शर्मा तथा रवि सुरोलिया व अन्य की फर्मो को रीको ब्यावर द्वारा औधोगिक क्षेत्र सथाना ब्यावर में आवंटित 04 भूखण्ड संख्या एफ-18 जी1-43 जी1-45 जी1-46 के लीज डीड/एग्रीमेन्ट निष्पादन के लिये कमलेश गुर्जर द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि 35,000/- रूपये देने के लिये ब्यावर भेजा गया है मैं व मेरे मित्र साथ में ही आपसी सहयोग से काम करते है। श्री कमलेश गुर्जर ने मेरे से 35,000/- रूपये लिफाफे में रिश्वत के रूप में लिये है। तत्पश्चात सह परिवादी से प्राप्त वाईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी के द्वारा बताई गई बातों की ताईद हुई मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान तय हुई राशि 35,000/- रूपये तथा उक्त मांग के अनुसरण में आज सहपरिवादी से प्राप्त की गई उक्त रिश्वत राशि के बारें में पूछा तो कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दिया गया जिस पर संदिग्ध कमलेश गुर्जर को निगरानी में बिठाया गया। तत्पश्चात् अग्रीम

कार्यवाही के क्रम में संदिग्ध श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक रिको उप ईकाई कार्यालय ब्यावर के दोनो हाथो के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर उक्त तैयार शुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में तैयारशुदा घोल में श्री कमलेश गुर्जर के दायें हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को मटमैला होना बताया जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर दोनो स्वतंत्र गवाहन आरोपी श्री कमलेश गुर्जर एवं सहपरिवादी श्री गौरव मोटवानी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री कमलेश गुर्जर के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन मटमैला हो गया जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को मटमैला होना बताया जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात रिश्वत राशि बरामदगी स्थल कार्यालय की मुख्य सीट जहां पर आरोपी कमलेश गुर्जर बैठा हुआ था के बांयी तरफ रखी टेबल पर रखे प्रिन्टर के पास का धोवन लेने के लिये नये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार किया गया तथा उक्त स्थान को सफेद कपडे की चिन्दी से रगडकर उक्त चिन्दी को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को मटमैला होना बताया जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क C-1 व C-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में ली गई चिन्दी को सुखाकर उस पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर चिन्दी को सफेद कपडे की थैली में रखकर पैकेट पर मार्क ब् अंकित कर सम्बधितों दोनो स्वतंत्र गवाह व सह परिवादी व संदिग्ध कमलेश गुर्जर के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री विजय गौड के पास सुरक्षित रखवाई गई रिश्वती राशि 35,000/- रूपये को पुनः गिनवाया गया तथा रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 70 नोट कुल राशि 35,000/-रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहन ने उक्त नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी के क्रम संख्या 101 से 170 तक हुबहु होना बताया जिनको लिफाफे सहित एक तरफ से सफेद कागज में लपेटकर शील्ड मोहर कर मार्क M अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गये। आरोपी श्री कमलेश गुर्जर के मोटोरोला ऐज-40 नीयो जिसके पासवर्ड 258409 है का अवलोकन किया गया तो कोई संदिग्ध डेटा नही पाया गया जिसे कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सह परिवादी श्री गौरव मोटवानी द्वारा रिश्वत लेन-देन के दौरान आरोपी कमलेश गुर्जर को दी गई 04 लीज डीड पत्रावलियों के बारें में पूछा तो आरोपी ने कार्यालय प्रिन्टर के उपर रखी 04 फाईलों की ओर ईशारा कर बताया कि श्री गौरव मोटवानी द्वारा आज ये 04 पत्रावलियां मुझे लीज एग्रीमेन्ट निष्पादन हेतु दी गई थी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तो भूखण्ड संख्या एफ-18 आद्योगिक क्षेत्र सथाना ब्यावर जो मैसर्स श्री कोडमदेश्वर ओवरसीज प्रा.लि. श्री रवि सुरोलिया के नाम भूखण्ड संख्या जी1-43 आद्योगिक क्षेत्र सथाना ब्यावर जो मैसर्स प्रणव इन्डस्ट्रीज सोनम यादव के नाम भूखण्ड संख्या जी1-45 आद्योगिक क्षेत्र सथाना ब्यावर जो मैसर्स सताक्सी ओवरसीज प्रा.लि. श्री रवि सुरोलिया के नाम भूखण्ड संख्या जी1-46 आद्योगिक क्षेत्र सथाना ब्यावर जो मैसर्स राधे गोविन्द इन्डस्ट्रीज श्री मनीष शर्मा के नाम होना पायी गई। उक्त पत्रावलियां तीन-तीन प्रतियां में है जो परिवादीगण के कार्य से सम्बधित होने पर कार्यालय में उपस्थित रिको उप ईकाई कार्यालय ब्यावर के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री राहुल कुमार बेनीवाल से प्रत्येक पत्रावली की एक-एक प्रति की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त की गई तथा मूल पत्रावलियों को लीज डीड/एग्रीमेन्ट निष्पादन की कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक रीको ब्यावर को सुपुर्द की गई। कार्यवाही की घटनास्थल का नक्शा मौका मूर्तिब किया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से संदिग्ध श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक द्वारा सहपरिवादी श्री गौरव मोटवानी व परिवादी मनीष शर्मा से दिनांक 06.07.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में सहपरिवादी श्री गौरव मोटवानी के मित्र मनीष शर्मा एवं रवि सुरोलिया व अन्य की फर्मो को रीको ब्यावर द्वारा औधोगिक क्षेत्र सथाना ब्यावर में आवंटित 04 भूखण्ड संख्या एफ-18 जी1-43 जी1-45 जी1-46 के लीज डीड/एग्रीमेन्ट निष्पादन के लिये 50,000/- रूपये रिश्वत के रूप में मांग कर अन्त में 35,000/- रूपये रिश्वत लेना तय होने पर आज दिनांक 10.07.2026 को संदिग्ध श्री कमलेश गुर्जर द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन में तयशुदा रिश्वत राशि 35,000/- रूपये एक कागज के सफेद लिफाफे में रिश्वत के रूप में प्राप्त किये गये जो आरोपी श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक रिको उप ईकाई कार्यालय ब्यावर के कार्यालय की मुख्य सीट जहां पर आरोपी कमलेश गुर्जर बैठा हुआ था के बांयी तरफ रखी टेबल पर रखे प्रिन्टर के पास से बरामद किये गये। उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही के तथ्यों तथा आधारों से संदिग्ध श्री कमलेश गुर्जर को अवगत कराया जाकर हस्ब कायदा डीटेन किया गया। तत्पश्चात निर्देशानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु डीटेनशुदा संदिग्ध श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक को हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहनो के रिको उप ईकाई

कार्यालय ब्यावर से अजमेर रवाना होकर रीको कार्यालय अजमेर पहुचे। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री ज्ञान प्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रस्तुत फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वती राशि एवं फर्द घटनास्थल नक्शा मौका को शामिल कार्यवाही किया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक उप ईकाई रीको ब्यावर से पृथक से पूछताछ नोट मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप ईकाई रीको ब्यावर को आवाज नमूना प्राप्त करने हेतु नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप ईकाई रीको ब्यावर ने अंकित किया कि मै मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता हू। उक्त आवाज नमूना नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया। आरोपी श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप ईकाई रीको ब्यावर को जरिये फर्द गिरफ्तारी के आधार व जमानत व जमानत के अधिकारो की सूचना अन्तर्गत धारा 47 38 36(ग) बीएनएसएस से दी गई। आरोपी श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप ईकाई रीको ब्यावर द्वारा के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप ईकाई रीको ब्यावर को नियमानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही कर हस्बकायदा जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर कराये गये। दिनांक 11.07.2026 को समय करीब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सहपरिवादी श्री गोरव मोटवानी तथा स्वतंत्र गवाहान श्री मोनू टोपियॉ व श्री महेश सारवान की उपस्थिति में सहपरिवादी श्री गौरव मोटवानी व आरोपी श्री कमलेश कनिष्ठ सहायक रीको ब्यावर के मध्य दिनांक 10.07.2026 को हुई मांग लेन देन वार्ता जो consistent micro SD card 32 GB मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है उक्त मेमोरी कार्ड को टै्रप बॉक्स से निकालकर एडेप्टर में डालकर विभागीय लैपटॉप से जोडकर सुना गया तो दिनांक 10.07.2026 को हुई वार्ता में सहपरिवादी श्री गौरव मोटवानी ने अपनी आवाज एवं दुसरी आवाज श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक उप ईकाई रीको ब्यावर की पहचान की गई तथा मेमोरी कार्ड consistent micro SD card 32 GB में लेन देन वार्ता जो मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड है उक्त वार्ता को पेन ड्राईव में अपलोड/पेस्ट करने हेतु टै्रप बॉक्स में से 03 पेन OSCOO 32 GB USB2-0 FLASH DRIVE निकालकर पेन ड्राईव खाली होना सुनिश्चित कर कार्यालय लेपटॉप की सहायता से मेमेरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को तीनों पेन ड्राईव में अपलोड/पेस्ट कर तैयार की जाकर 03 पेन ड्राईव में वाईस क्लिप होना सुनिश्चित कर पेन ड्राईव पर क्रमशः मार्क A-1 B-2 व C-3 अंकित किया जाकर परिवादी व सहपरिवादीगण एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उक्त मेमोरी कार्ड में उपलब्ध वॉईस फाईल्स का एफटीके इमेजर से हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू रिपोर्ट का प्रिन्ट लिया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किया गया तथा हैश वैल्यू का मिलान सही होना पाया गया। पेन ड्राईव क्रमशः मार्क A-1 के कागज कवर सहित रखकर अलग कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर किया जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव मार्क B-2 व C-2 को खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लेन देन के दौरान उपयोग में लिये गये consistent micro SD card 32 GB को मार्क MC-3 अंकित किया जाकर मेमोरी कार्ड को अलग प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में रखकर अलग सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जप्त किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड consistent 32 GB जो दिनांक 10.07.2026 को टै्रप कार्यवाही के दौरान वीडीयोग्राफी करने हेतु कार्यवाही में लिया गया उक्त मेमोरी कार्ड को कार्यालय के एडेप्टर में डालकर लैपटॉप में जोडकर 03 नये पैन ड्राईव मंगवाया जाकर खाली होना सुनिश्चित कर लैपटॉप की सहायता से रिकॉर्ड विडियो को अपलोड किया गया जाकर मार्क X Y Z दिया तथा एफटीके इमेजर से हैश वैल्यू निकाली जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया तथा मार्क X Y को सील्ड किया व मार्क Z को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। कार्यालय के एडेप्टर में माइक्रो एसडी/मेमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड consistent 32 GB को निकालकर कागज के कवर में रख कर सफेद कपडे. की थैली में डालकर सील्ड मोहर मार्क MC-4 दिया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाए गए। फर्द जप्ती पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सम्पूर्ण टै्रप कार्यवाही में जब्त किये गये आर्टिकल्स में पीलत की सील प्रयोग में ली गई उक्त सील की फर्द नमूना सील मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई फर्द गिरफ्तारी फर्द नक्शा मौका एंव हालात मौका घटनास्थल फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता एवं मौके की हालात से पाया गया कि आरोपी अंजय विश्वकर्मा पुत्र श्री प्रेमलाल उम्र 60 साल जाति जांगिड निवासी मकान नं. 54 आर.एफ.सी कॉलोनी सिरसी रोड वैशालीनगर जयपुर हाल निवासी 32 एम क्रिश्नगंज शिवाजी पार्क के पास अजमेर हाल सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर रीको अजमेर व आरोपी कमलेश गुर्जर पुत्र श्री पुषाराम गुर्जर उम्र 26 साल निवासी गांव भाटीपुरा पोस्ट चौसला पुलिस थाना नांवा सिटी जिला डीडवाना-कुचामन हाल कनिष्ठ सहायक रिको उप ईकाई कार्यालय ब्यावर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुए परिवादी श्री मनीष शर्मा को आवंटित भूखण्ड सं. जी1-46 ओद्यौगिक क्षेत्र सथाना ब्यावर तथा सहपरिवादी श्री रवि सुरोलियॉ को आंविटत भूखण्डो की लीज डीड/एग्रीमेंट एवं

निष्पादन करने की एवज में आरोपी श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक के द्वारा दिनांक 06.07.2026 को मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री मनीष शर्मा एवं सहपरिवादी श्री गौरव मोटवानी से 50,000 रूपये की मांग कर 35,000 रूपये में सहमत होने पर अपनी मांग के अनुशरण में दिनांक 10.07.2026 को 35,000 रूपये प्राप्त करने तथा आरोपी श्री अंजय विश्कर्मा के द्वारा परिवादी श्री मनीष शर्मा को आवंटित भूखण्ड सं. जी1-46 ओद्यौगिक क्षेत्र सथाना ब्यावर का उत्पाद परिवर्तन करने की एवज में परिवादी श्री मनीष शर्मा के मित्र सहपरिवादी श्री रवि सुरोलिया से दिनांक 07.07.2026 को 50,000/-रूपए रिश्वत राशि की मांग कर अपनी मांग के अनुसरण में दिनांक 10.07.2026 को सहपरिवादी श्री रवि सुरोलिया से 50,000/- रूपए रिश्वती राशि प्राप्त करने से आरोपीगण श्री अजंय विश्वकर्मा सीनियर डीजीएम रीको अजमेर एवं श्री कमलेश गुर्जर कनिष्ठ सहायक उप ईकाई रीको ब्यावर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाये जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर प्रेषित है। (मनोज कुमार गुप्ता) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-चतुर्थ जयपुर.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा cउक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजवीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ब्यावर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 247 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1176-80 दिनांक 14.07.2026 प्रति्लिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर 2- प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर 3–सलाहकार, AM, रीको, अजमेर 4-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर आयुक्तालय 5- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ जयपुर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJVEER SINGH CHAMPAWAT **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/07/2026 18:19:55

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1966				
2	Male	2000				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)